प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 179/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Ramsingh Rajawat Add: 38 Sirasya, Lasadia, Phagi, Sanganer, Jaipur
..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर
...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329318087982279 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7899250334 दिनांक 16.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/179/24/1457-58 दिनांक 16.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2025/13 दिनांक 09.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन संख्या 329936614126522 द्वारा सूचना चाही गई थी, जो कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः उक्त प्रथम अपील को निस्तारित करने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 13 दिनांक 09.01.2025 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 2492906996 दिनांक 03.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसमें सरकारी बिलानाम जमीन का आवंटन तहसील स्तर से नहीं किया जाकर उच्च स्तर के कार्यालय द्वारा किया जाता है।" का अंकन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को निश्चित समयावधि में ऑनलाईन सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर